नम्बर व तारीख
हकाम जो इस
को तामील
जारी हुए

राजस्व अपील संख्या 52/2022

अनवान
माधोसिह वगैरा बनाम राजस्थान सरकार

दिनांक 04 –04–2022

उक्त अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शेरगढ द्वारा पारित आदेश कमांक राजस्व/प्रगांसं/2021/ 405 दिनांक 26–11–2021 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है जो विचाराधीन है । अपीलांट अधिवक्ता ने आज एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसके सलंग्न उपखण्ड अधिकारी शेरगढ के प्रकरण सख्या 723/2022 के आदेशिकाओ की प्रति प्रस्तुत की है जिसमे उपखण्ड अधिकारी शेरगढ ने उनके कार्यालय के आदेश 2021/405 (अपीलाधीन आदेश) को खारीज कर दिया है । अपीलांट अधिवक्ता ने उक्त आदेश की प्रति प्रस्तुत कर उसके अनुरूप अपीलांट की अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया ।

हमने अपीलाधीन आदेश कमांक राजस्व/प्रगांसं/2021/ 405 दिनांक 26–11–2021 एवं उपखण्ड अधिकारी शेरगढ के प्रकरण सख्या 723/2022 मे पारित आदेश दिनांक 16–3–2022 का अवलोकन किया ।चूॅकि उपखण्ड अधिकारी शेरगढ ने उक्त आदेश दिनांक 16–3–22 के द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 26–11–2021 को खारीज कर दिया है, ऐसे म`अब उक्त अपील निष्प्रभावी हो चुकी है इसलिए इस अपील मे पृथक से आदेश पारित किया जाना न्यायोचित नही होगा ।

परिणामस्वरूप अपीलांट की उक्त अपील निष्प्रभावी हो जाने से खारीज की जाती है । पत्रावली फैसलशुमार होकर नंबर से कम हो । निर्णय आज खुले न्यायालय सुनाया गया ।

अति० सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर